क.

एसएमटी। कैथूमी [एल] थ्रू एल. आर. एस. बनाम

एसएमटी। RALLIANI और अन्य (2008 की सिविल अपील संख्या 7159-7160) अप्रैल 26,2022

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

मिज़ो प्रथागत कानून-विरासत-तलाकशुदा बेटी/अविवाहित पोती का अधिकार-जिला परिषद न्यायालय तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करने पर, विशेष रूप से एस।109(3) और एस।109(10) मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार, हालाँकि मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार, यह सबसे छोटा बेटा है, जो अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का हकदार होगा; उचित और उचित तरीके से संपत्ति के वितरण की पर्याप्त गुंजाइश है-जिला परिषद न्यायालय ने आगे पाया कि मिजो प्रथागत कानून के तहत विरासत भी कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है-यह पाया गया कि बेटा अपनी विधवा मां की देखभाल कर रहा था-हालाँकि, उसकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता संख्या 4 (तलाकशुदा बेटी) अपनी वृद्ध मां की देखभाल के लिए अपने मूल घर वापस आ गई-विरासत के मामले में 'तलाकशुदा' (ह्रिंगकिर) से संबंधित मिजो प्रथागत कानून का प्रावधान उस पर लागू होगा और उसके पिता की संपत्तियों की विरासत का अधिकार उसके तलाकशुदा होने (ह्रिंगकिर) और मां की देखभाल के लिए मूल परिवार के पास वापस आने के कारण बना रहेगा-ऐप

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

978

979

एसएमटी। कैथूमी [एल] थ्रू एल. आर. एस. बनामएसएमटी। रालीनी और अन्य ए

इस उद्देश्य के लिए बेहतर अधिकार होना-इसलिए जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि विरासत के मिजो प्रथागत कानून के सिद्धांत और समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए, जो कि मिजो प्रथागत कानून के लिए सर्वोपरि है, यह उचित था कि संपत्ति को अपीलकर्ता संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच विभाजित किया जाए-जिला परिषद न्यायालय द्वारा दूसरे रिमांड पर लिया गया विचार, समानता के विचार और परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए एक कानूनी उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी पर आधारित था-उच्च न्यायालय जिला परिषद न्यायालय के आदेश को उलटने में उचित नहीं था।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

ग

पकड़नाः**1.** जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने दूसरे रिमांड पर, तथ्यात्मक मैट्रिक्स, विशेष रूप से मिज़ो प्रथागत कानून की धारा **109 (3)** और धारा **109 (10)** पर विचार करने पर कहा कि हालांकि मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार, यह सबसे छोटा बेटा है, जो अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का हकदार होगा; निष्पक्ष और उचित तरीके से संपत्ति के वितरण के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने पाया है कि एक अमीर पिता के मामले में, संपत्ति को बेटों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जा सकता है।जिला परिषद न्यायालय ने आगे पाया कि जहां तक परिवार की महिला सदस्यों का संबंध है, जो पहले से ही विवाहित हैं और अलग-अलग घरों में रह रही हैं, वे किसी भी हिस्से के हकदार नहीं हैं।जिला परिषद न्यायालय ने आगे पाया कि मिज़ो प्रथागत कानून के तहत, विरासत कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों पर भी निर्भर करती है।यह पाया गया है कि अपनी मृत्यु तक, थान्हनुना अपनी माँ की देखभाल कर रहा था। हालाँकि, उनकी मृत्यु के बाद, थानसंगी हुहा (अपीलकर्ता संख्या **4)** अपनी वृद्ध माँ कैथुआमी की देखभाल करने के लिए अपने मूल घर वापस आ गई।यह पाया गया कि विरासत के मामले में 'तलाकशुदा' (ह्रिंगकिर) से संबंधित मिज़ो प्रथागत कानून का प्रावधान उस पर लागू होगा और उसके तलाकशुदा होने (ह्रिंगकिर) और मां की देखभाल के लिए मूल परिवार में वापस आने के कारण उसके पिता की संपत्तियों की विरासत का उसका अधिकार बना रहेगा।जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि थानसंगी हुहा ने अपनी माँ की मृत्यु तक देखभाल की और अपनी माँ के लिए औपचारिक मकबरे के निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाई।जिला परिषद

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अदालत ने यह भी पाया कि मृतक पी. एस. दहरावका और कैथुआमी की बेटियां, जो विवाहित थीं और अलग-अलग घरों में रह रही थीं, और थान्हनुना की एक बेटी, यानी लालदिनपुई, जिसकी शादी भी एक अलग कबीले में हुई थी, को बाहर करने के बाद, मुकाबला मृतक पी. एस. दहरावका की सबसे छोटी बेटी थानसंगी हुहा (अपीलकर्ता संख्या **4)** और कैथुआमी के बीच था, जो तलाक के बाद अपने घर वापस आ गई थी और एक तरफ अपनी मां की देखभाल कर रही थी और दूसरी तरफ मृतक थान्हनुना की दूसरी बेटी लालमुआनपुई (प्रतिवादी संख्या **3)**।**[**पारस **15** और **16] [986-**डी-एच; **987-**ए-सी**]**

2. जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि चूंकि थानसंगी हुहा (इसमें अपीलकर्ता संख्या **4)** ने अपनी माँ की मृत्यु तक देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था और मुख्य बिस्तर पर कब्जा कर रहा था और अपने पिता की कबीले की उपाधि 'हहू' को फिर से प्राप्त कर रहा था, इसलिए अपने पिता की संपत्तियों के उत्तराधिकारी होने के उसके अधिकार को हराया नहीं जा सकता था।इसने आगे पाया कि दूसरी ओर लालमुआनपुई (प्रतिवादी संख्या **3),** हालांकि एक महिला थी, मृतक पी. एस. दहरावका के पुरुष वंश की पोती थी।वह अविवाहित थीं और पी. एस. दहरावका की पंक्ति में विशुद्ध रूप से 'हहू' थीं।इसने पाया कि तत्काल विवाद में विरासत के उसके अधिकार की रक्षा प्रथागत कानून द्वारा की गई थी, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए वंशजों को बेहतर अधिकार नहीं था।इसलिए जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि विरासत के मिज़ो प्रथागत कानून के सिद्धांत और समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए, जो कि मिज़ो प्रथागत कानून के लिए सर्वोपरि है, यह उचित था कि संपत्ति को थानसांगी हुहा (अपीलकर्ता संख्या **4)** और लालमुआनपुई (प्रतिवादी संख्या **3)** के बीच विभाजित किया जाए।**[**पैरा **17] [987-**सी-एफ**]3.** जिला परिषद न्यायालय, आइजोल द्वारा दूसरे रिमांड पर लिया गया विचार समानता पर विचार और परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए एक कानूनी उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी पर आधारित है।**[**पैरा **19] [988-**ए-बी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

थानसियामिया बनाम लालरुआतकिमा और ओआरएस। **(2012) 2** गुवाहाटी

विधि प्रतिवेदन **309-**अनुमोदित।

एच.

981

एसएमटी। कैथूमी [एल] थ्रू एल. आर. एस. बनामएसएमटी। रालीनी और अन्य

क.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2008 की सिविल अपील सं. 7159-7160।

2006 के आर. एस. ए. No.12 और 2006 के क्रॉस ऑब्जेक्शन No.04 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आइजोल पीठ के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रॉबिन रत्नाकर डेविड, मुनव्वर नसीम, धीरज अब्राहम फिलिप, फेबिन वी. मैथ्यू, सैमुअल डेविड, एड.अपीलार्थियों के लिए। प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, नीरज कुमार गुप्ता, कार्तिकेय दुतिया, रंजीत कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

ग

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

डी.

1. मृतक अपीलार्थी No.3-Thanzami के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति है, जो सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन है।

2. वर्तमान अपीलें गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आइजोल पीठ, दिनांक 7 नवंबर, 2007 के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं, जो 2006 के आर. एस. ए. No.12 में 2006 के क्रॉस ऑब्जेक्शन नंबर 4 के साथ पारित किया गया था, जिसके अनुसार, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यहां उत्तरदाताओं द्वारा दायर उक्त दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया है और इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई क्रॉस-आपत्ति को खारिज कर दिया है।

ई.

च

3. विचाराधीन विवाद की सराहना करने के लिए, पारिवारिक चार्ट * को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो नीचे दिया गया हैः

जी.

* एड। ध्यान देंःपारिवारिक चार्ट अगले पृष्ठ पर है।

एच.

SMT. KAITHUAMI (L) THR. LR's & ORS. vs. SMT. RALLIANI & ORS.

CIVIL APPEAL NO. 7159-7160/ 2008

FAMILY CHART

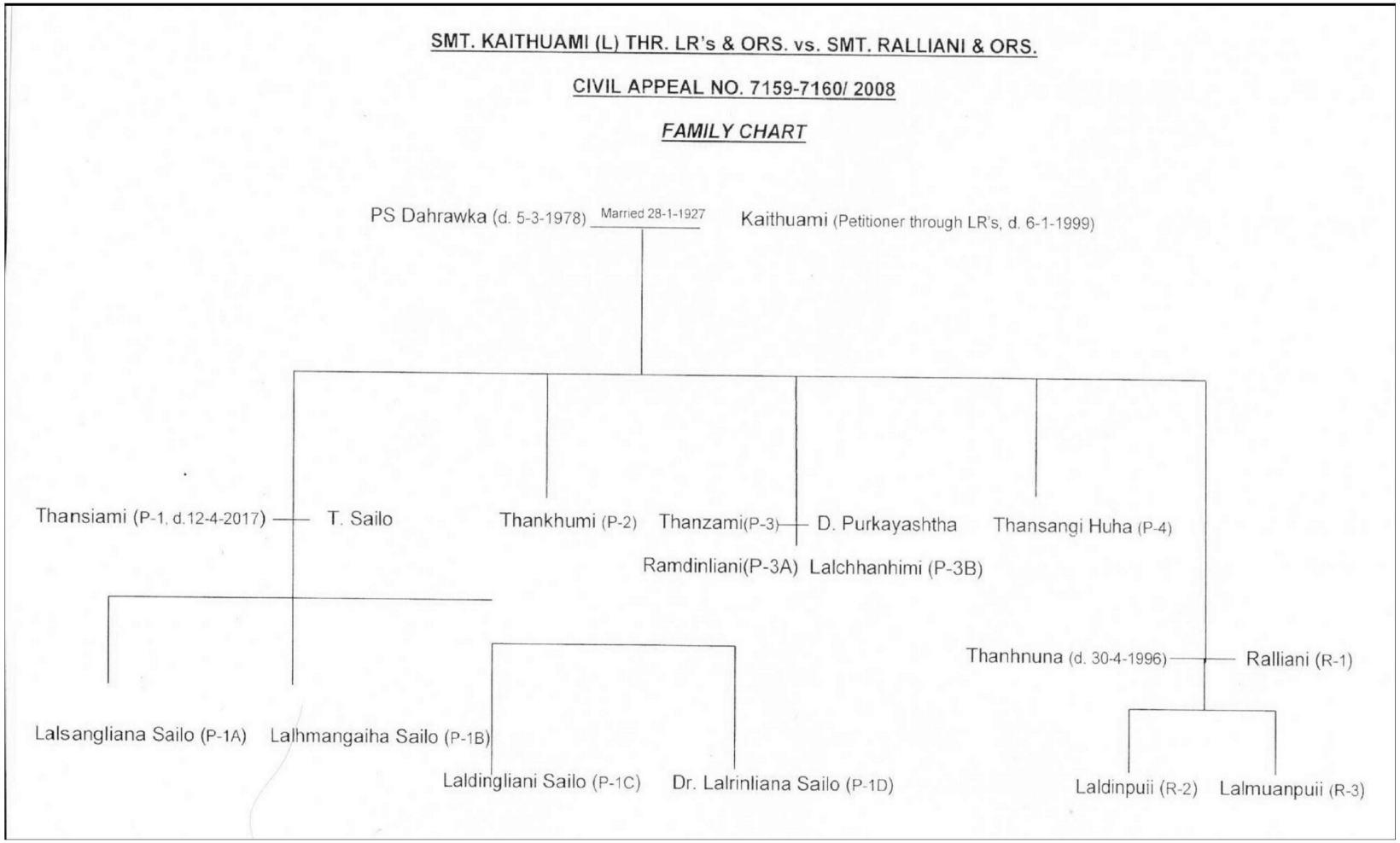

जी.

एच.

983

एसएमटी। कैथूमी [एल] थ्रू एल. आर. एस. बनामएसएमटी। रालीनी और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

क.

4. पी. एस. दहरावका और कैथुआमी, जिनके माध्यम से पक्ष विरासत का दावा कर रहे हैं, 28 जनवरी, 1927 को एक-दूसरे से शादी कर ली थी।उक्त विवाह से दस बच्चे पैदा हुए, यानी दो बेटे और आठ बेटियाँ।उक्त दस बच्चों में से एक बेटे की मृत्यु वर्ष 1940 में डेढ़ साल की उम्र में हुई और एक बेटी की मृत्यु उसके जन्म के एक सप्ताह बाद हुई।

5. हालांकि फैसले में, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि विवादित संपत्ति पी. एस. दहरावका द्वारा वर्ष 1972 में एल. एस. सी. नं. 1972 का ए. जेड. एल. 56, यहाँ अपीलार्थियों का तर्क है कि उक्त संपत्ति पी. एस. दहरावका और कैथुआमी द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1945 में खरीदी गई थी। पी. एस. दहरावका का निधन 5 मार्च, 1978 को हुआ था।मृत्यु के समय उनके परिवार में उनकी पत्नी कैथुआमी, एकमात्र पुत्र थान्हनुना और सात बेटियाँ थीं।सभी बेटियाँ शादीशुदा थीं और अपने-अपने परिवारों के साथ रहती थीं।उनकी मृत्यु के बाद, उनकी सबसे छोटी बेटी, थानसंगी हुहा (यहाँ अपीलकर्ता संख्या 4) का तलाक हो गया और जनवरी, 1997 में वह अपनी माँ कैथुआमी के साथ रहने आई।पुत्र थान्हनुना, जिनकी वर्ष 1996 में मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार में उनकी विधवा रल्लियानी और दो बेटियाँ, नामतः लालदिनपुई और लालमुआनपुई हैं, जो यहाँ उत्तरदाता हैं।

ग

डी.

6. पी. एस. दहरावका की मृत्यु के बाद, पुत्र थान्हनुना ने एल. एस. सी. सं. द्वारा कवर की गई संपत्तियों के संबंध में अपने नाम पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। 1972 का ए. जेड. एल. 56 उनके पिता पी. एस. दहरावका द्वारा छोड़ा गया था।उनका दावा विरासत के मिज़ो प्रथागत कानून पर आधारित था, जिसमें प्रावधान है कि एक बेटा मिज़ो की संपत्तियों का उत्तराधिकारी होगा और यदि मृतक के एक से अधिक बेटे हैं, तो सबसे छोटे बेटे को संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा।हालाँकि, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए उनके आवेदन पर निर्णय लेने से पहले, 28 अप्रैल, 1996 को थान्हनुना की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी माँ कैथुआमी ने 31 मई, 1996 को एक आपत्ति प्रस्तुत की। अधीनस्थ जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने 11 जून, 1996 को उनकी मृत्यु के कारण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए थान्हनुना के आवेदन को खारिज कर दिया।उनकी विधवा रल्लियानी (प्रतिवादी संख्या 1) ने अपने पति-मृत थान्हनुना द्वारा दायर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को बहाल करने के लिए एक आवेदन दायर किया।इसे अधीनस्थ जिला परिषद न्यायालय, आइजोल द्वारा 3 जुलाई, 1996 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

ई.

च

जी.

7. इस बीच, माँ कैथुआमी ने भी अपने पति मृतक पी. एस. दहरावका की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का दावा करते हुए 1996 का एच. सी. No.1275 होने का आवेदन दायर किया।ने कहा कि

एच.

याचिका पर रल्लियानी और उनकी दो बेटियों ने आपत्ति जताई थी।इस प्रकार, इस विवाद को अधीनस्थ जिला परिषद न्यायालय, आइजोल में 1996 के दीवानी मुकदमे के रूप में एक दीवानी मुकदमे में परिवर्तित कर दिया गया।7 अगस्त, 1997 के फैसले और आदेश के माध्यम से, उक्त मुकदमे का फैसला मां कैथुआमी के पक्ष में किया गया और उन्हें विवादित संपत्तियों के संबंध में अपने मृत पति पी. एस. दहरावका का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया गया।

8. इसमें प्रत्यर्थियों ने जिला परिषद न्यायालय, आइजोल के समक्ष 1997 की सी. ए. संख्या 12 के रूप में एक अपील दायर की।अपीलीय न्यायालय ने 9 जुलाई, 2001 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि विवादित संपत्ति को कैथुआमी की चार बेटियों, यानी एक ओर प्रत्यर्थियों (यानी इसमें अपीलकर्ता) और दूसरी ओर तीन अपीलकर्ताओं (यानी इसमें प्रत्यर्थियों) के बीच विभाजित किया जाए, जो थान्हनुना के कानूनी उत्तराधिकारी हैं।9. अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश पर 2001 के आर. एस. ए. सं. 3 में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था।उच्च न्यायालय ने 13 मई, 2003 के निर्णय और आदेश के माध्यम से कहा कि दोनों पक्षों के हित में पूर्ववर्तियों की मृत्यु के बाद बदली हुई स्थिति में दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के कानूनी अधिकारों पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और इस तरह, अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय, आइजोल, यानी जिला परिषद न्यायालय, आइजोल को भेज दिया।

ग

डी.

ई.

10. रिमांड पर, जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने 10 जुलाई, 2003 के फैसले और आदेश के माध्यम से अपील का निपटारा किया।उक्त निर्णय के अनुसार, इसमें केवल अपीलकर्ताओं को मृतक पी. एस. दहरावका की संपत्ति का हकदार माना गया था, जिसमें मृतक थान्हनुना (यहां उत्तरदाता) की विधवा और बेटियों को बाहर रखा गया था।इससे व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 की आर. एस. ए. संख्या 9 को प्राथमिकता दी।उच्च न्यायालय ने 9 मार्च, 2005 के निर्णय और आदेश के माध्यम से पक्षकारों को सुनने के बाद मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को फिर से प्रथम अपीलीय न्यायालय, यानी जिला परिषद न्यायालय, आइजोल को भेज दिया।जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने रिमांड पर 28 फरवरी, 2006 के फैसले और आदेश के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों में आंशिक रूप से अपील की अनुमति दीः“1) वह प्रत्यर्थी सं. (घ) अर्थात् श्रीमती. थानसंगी हुहा को विरासत में मिलेगा।

च

जी.

(क) "अहिम्सा" नामक मुख्य घर और

(ख) ए पर दक्षिण में आर. सी. सी. भवन से सटे 'अहिम्सा' के ऊपर सड़क के किनारे असम प्रकार की इमारत।

एच.

985

एसएमटी। कैथूमी [एल] थ्रू एल. आर. एस. बनामएसएमटी। रालीनी और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

सड़क के किनारे जिस भूमि पर वे खड़े हैं, वह एल. एस. सी. ए. जेड. एल. No.54/72 द्वारा आच्छादित है।

2. अपीलार्थी सं. 3 अर्थात् श्रीमती. लालमुआनपुई हुहा को विरासत में मिलेगाः- (क) उत्तर में असम प्रकार की इमारत से सटे सड़क के किनारे आर. सी. सी. इमारत जो ऊपर (I) (b) पर बताई गई है और (b) ऊपर 2 (a) पर बताई गई इमारत के उत्तर में सड़क के किनारे असम प्रकार की इमारत जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिस पर वे एल. एस. सी. ए. जेड. एल. No.54/72 द्वारा आच्छादित भूमि पर खड़े हैं।11. व्यथित होने के कारण, यहाँ उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष

2006 की आर. एस. ए. No.12 होने वाली दूसरी अपील को प्राथमिकता दी और यहाँ अपीलकर्ताओं ने 2006 की क्रॉस-ऑब्जेक्शन संख्या 4 को प्राथमिकता दी।7 नवंबर, 2007 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया है और प्रति-आपत्ति को खारिज कर दिया है, जिससे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 हैं जो थान्हनुना के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो संपत्ति में अपीलकर्ताओं के बहिष्करण के अधिकारों के हकदार थे।दुखी होने के कारण, वर्तमान अपील विशेष अवकाश के माध्यम से की जाती है।

ग

डी.

12. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रॉबिन रत्नाकर डेविड और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रज्ञान प्रदीप शर्मा को सुना है।

ई.

13. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री रॉबिन रत्नाकर डेविड ने कहा कि उच्च न्यायालय इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहा कि मिजो प्रथागत कानून के तहत न केवल अधिकार विरासत में मिले हैं, बल्कि ये जिम्मेदारियां भी हैं जो विरासत में मिली हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विरासत एक कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अपने माता-पिता के प्रति उनके बुढ़ापे में निभाई गई जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक थान्हनुना अलग रह रही थी और यह केवल अपीलकर्ता हुहा, मृतक पी. एस. दहरावका और कैथुआमी की सबसे छोटी बेटी थी, जो अपनी बूढ़ी माँ कैथुआमी की देखभाल कर रही थी।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक पी. एस. दहरावका और कैथुआमी ने 28 जनवरी, 1927 को एक समझौता किया था और इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि वे एक-दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, और इस तरह, उनके पति पी. एस. दहरावका की मृत्यु पर, उनकी संपत्ति कैथुआमी को विरासत में मिली थी, और उनकी मृत्यु पर, उनकी बेटियों को।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि थान्हनुना ने अपनी माँ या परिवार के सदस्यों की देखभाल नहीं की थी, इसलिए वह या उसके कानूनी उत्तराधिकारी इस मामले में किसी भी अधिकार के हकदार नहीं थे।

च

जी.

एच.

संपत्ति।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को स्वीकार करने और प्रति-आपत्ति को खारिज करने में घोर गलती की थी।

14. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, इसके विपरीत, यह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर दूसरी अपील को उचित रूप से स्वीकार कर लिया है और इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर क्रॉस-ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन संपत्ति 28 जनवरी, 1927 के समझौते के दायरे में नहीं थी और यह मिज़ो प्रथागत कानून द्वारा निर्देशित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा संपत्ति एल. एस. सी. नं. 1972 का ए. जेड. एल. 56 केवल पी. एस. दहरावका द्वारा खरीदा गया था और मृतक कैथुआमी का उक्त संपत्ति की खरीद में कोई योगदान नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार, एकमात्र पुत्र होने के नाते थान्हनुना अपने दिवंगत पिता पी. एस. दहरावका का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि थानसांगी हुहा (अपीलार्थी संख्या 4) का 20 जून, 1980 को तलाक हो गया था।हालाँकि उन्होंने 17 वर्षों तक अपनी माँ के साथ नहीं रहने का फैसला किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह थान्हनुना की मृत्यु के बाद ही अपनी माँ कैथुआमी के साथ रहने आई थी।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं।

ग

डी.

15. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।हम पाते हैं कि जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने दूसरी रिमांड पर, तथ्यात्मक मैट्रिक्स, विशेष रूप से मिज़ो प्रथागत कानून की धारा 109 (3) और धारा 109 (10) पर विचार करने पर कहा कि हालांकि मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार, यह सबसे छोटा बेटा है, जो अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का हकदार होगा; निष्पक्ष और उचित तरीके से संपत्ति के वितरण के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।जिला परिषद न्यायालय, आइजोल ने पाया है कि एक अमीर पिता के मामले में, संपत्ति को बेटों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जा सकता है।

ई.

च

16. जिला परिषद न्यायालय ने आगे पाया कि जहां तक परिवार की महिला सदस्यों का संबंध है, जो पहले से ही विवाहित हैं और अलग-अलग घरों में रह रही हैं, वे किसी भी हिस्से के हकदार नहीं हैं।जिला परिषद न्यायालय ने आगे पाया कि मिज़ो प्रथागत कानून के तहत, विरासत कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों पर भी निर्भर करती है।यह पाया गया है कि अपनी मृत्यु तक, थान्हनुना अपनी माँ की देखभाल कर रहा था।हालाँकि, उनकी मृत्यु के बाद, थानसंगी हुहा (अपीलकर्ता संख्या 4) अपनी बूढ़ी माँ कैथुआमी की देखभाल के लिए अपने मूल घर वापस आ गई।यह पाया गया कि विरासत के मामले में 'तलाकशुदा' (ह्रिंगकिर) से संबंधित मिज़ो प्रथागत कानून का प्रावधान उस पर लागू होगा और उसके पिता की संपत्तियों की विरासत का अधिकार ए.

जी.

एच.

987

एसएमटी। कैथूमी [एल] थ्रू एल. आर. एस. बनामएसएमटी। रालीनी और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

उसके तलाकशुदा होने (ह्रिंगकिर) और माँ की देखभाल के लिए मूल परिवार में वापस आने के कारण।जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि थानसंगी हुहा ने अपनी माँ की मृत्यु तक देखभाल की और अपनी माँ के लिए औपचारिक मकबरे के निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाई।जिला परिषद न्यायालय ने यह भी पाया कि मृतक पी. एस. दहरावका और कैथुआमी की बेटियां, जो विवाहित थीं और अलग-अलग घरों में रह रही थीं और थान्हनुना की एक बेटी, यानी लालदिनपुई, जिसकी शादी भी एक अलग कबीले में हुई थी, को बाहर करने के बाद, मुकाबला मृतक पी. एस. दहरावका की सबसे छोटी बेटी थानसंगी हुहा (अपीलकर्ता संख्या 4) और कैथुआमी के बीच था, जो तलाक के बाद अपने घर वापस आ गई थी और एक तरफ अपनी मां की देखभाल कर रही थी और दूसरी तरफ लालमुआनपुई (प्रतिवादी संख्या 3), मृतक थान्हनुना की दूसरी बेटी।

ग

17. जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि चूंकि थानसंगी हुहा (इसमें अपीलकर्ता संख्या 4) ने अपनी माँ की मृत्यु तक देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था और मुख्य बिस्तर पर कब्जा कर रहा था और अपने पिता की कबीले की उपाधि 'हहू' को फिर से प्राप्त कर रहा था, इसलिए अपने पिता की संपत्तियों के उत्तराधिकारी होने के उसके अधिकार को हराया नहीं जा सकता था।इसने आगे पाया कि दूसरी ओर लालमुआनपुई (यहाँ प्रतिवादी संख्या 3), हालांकि एक महिला थी, मृतक पी. एस. दहरावका के पुरुष वंश की पोती थी।वह अविवाहित थीं और पी. एस. दहरावका की पंक्ति में विशुद्ध रूप से 'हहू' थीं। इसने पाया कि तत्काल विवाद में विरासत के उसके अधिकार की रक्षा प्रथागत कानून द्वारा की गई थी, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए वंशजों को बेहतर अधिकार नहीं था।इसलिए जिला परिषद न्यायालय ने पाया कि विरासत के मिज़ो प्रथागत कानून के सिद्धांत और समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए, जो कि मिज़ो प्रथागत कानून के लिए सर्वोपरि है, यह उचित था कि

संपत्ति को थानसांगी हुहा (इसमें अपीलकर्ता संख्या 4) और लालमुआनपुई (इसमें प्रतिवादी संख्या 3) के बीच विभाजित किया जाए।

डी.

ई.

च

18. गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आइजोल पीठ, मदन बी. लोकुर, सी. जे. (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से थानसियामी बनाम के मामले में बोल रहे थे। लालरुआतकिमा और ओआरएस।1 यह भी माना गया है कि विरासत इस सवाल पर निर्भर करती है कि क्या कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में मृतक का समर्थन करता है या नहीं।यह माना गया है कि यदि कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी अपने माता-पिता का समर्थन नहीं करता है, तो भी वह विरासत का हकदार नहीं होगा।यह आगे माना गया है कि भले ही कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी हो, एक व्यक्ति जो उसकी मृत्यु तक उस व्यक्ति का समर्थन करता है, वह उस व्यक्ति की संपत्तियों का उत्तराधिकारी हो सकता है।

जी.

1 (2012) 2 गुवाहाटी लॉ रिपोर्ट 309

एच.

19. इसलिए हम पाते हैं कि जिला परिषद न्यायालय, आइजोल द्वारा दूसरे रिमांड पर लिया गया दृष्टिकोण, समानता के विचार और परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए एक कानूनी उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी पर आधारित है।तानसियामी बनाम लालरुआतकिमा और अन्य के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आइजोल पीठ के फैसले से भी उक्त विचार का समर्थन किया गया है।(ऊपर)।हम सम्मानपूर्वक उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं।

20. इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय 1997 के सी. ए. No.12 में 28 फरवरी, 2006 को जिला परिषद न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित और न्यायसंगत निर्णय और आदेश को उलटने में उचित नहीं था।

21. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैंः उ. अपीलों की अनुमति है।

ग

बी. 2006 के आर. एस. ए. No.12 और 2006 के क्रॉस ऑब्जेक्शन नंबर 4 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आइजोल पीठ के 7 नवंबर, 2007 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।ग. 1997 के सी. ए. No.12 में जिला परिषद न्यायालय, आइजोल के 28 फरवरी, 2006 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है।22. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

ई.

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

च

जी.

एच.